सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 887
06/11/2018

वर्षा की कमी से सूखाग्रस्तघोषित जिलों में त्वरित साहाय्य कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश जारी

पटना, 06 नवम्बर, 2018 ::– आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त सूचनानुसार, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग से अनुरोध किया गया है कि सूखाग्रस्त घोषित जिलों में अपने विभाग से संबंधित साहाय्य कार्यों को त्वरित गति प्रारंभ करें।

सूखाग्रस्तघोषित क्षेत्रों में कृघि विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार फसल की सुरक्षा एवं बचाव के लिए कृषिइनपुट के रूप में डीजल, बीज आदि पर सब्सिडी की व्यवस्था, वैकल्पिक फसल योजना तैयार कर उसके सफल क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित कार्रवाई, किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलवाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई तथा इसके अन्तर्गत फसल बीमा से आच्छादित किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी का लाभ, किसानों को फसल सहायता योजना का लाभ तथा आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कृषि इनपुट सब्सिडी का लाभ, इसके लिए कृषकों को अधिकतम 2 हेक्टेयर की अधिसीमा तक कृषि इनपुट सब्सिडी, एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 मानदर के अनुरूप कार्य अपेक्षित है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पेयजल की आपूर्त्ति हेतु पूर्व में लगाये गये चापाकलों की मरम्मति, आवश्यकतानुसार आकलन कर पुराने चापाकलों को और गहरे स्तर तक गाड़े जाने, जरूरत के अनुसार नये चापाकल लगाने तथा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से जलापूर्त्ति की व्यवस्था का कार्य अपेक्षित है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जिलों में पर्याप्त खाद्यान्न का भंडारण तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सभी पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य अपेक्षित है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा पशुचारा की उपलब्धता, पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था हेतु चयनित स्थलों को शिविर के रूप में चिह्नित कर जल की व्यवस्था करना जिसमें प्राथमिकता के आधार पर सोलर पंप के द्वारा जल की व्यवस्था भी शामिल रखना, पशुओं में इफिमेरल फीवर, हीट स्ट्रोक, न्यूमोनिया, दस्त जैसी सामान्य पशु रोगों की निदान हेतु पशु चिकित्सालयों में दवा का भंडारण अपेक्षित है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में गतिशीलता लाना, जल संरक्षण की योजना के तहत तालाब, आहर एवं पाइन उड़ाही, चेक डैम, डगबेल, वृक्षारोपण जैसे परियोजनाओं को प्राथमिकता देना, प्रत्येक पंचायत में जल संरक्षण हेतु न्यनतम दो–दो योजनाएँ संचालित करना अपेक्षित है।

ग्रामीण कार्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग से भी सूखे से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार रोजगारोन्मुख परियोजना का कार्यान्वयन अपेक्षित है।

लघु जल संसाधन विभाग द्वारा निजी नलकूप गाड़ने हेतु अनुदान उपलब्ध कराने, चालू नलकूपों से लगे हुए फसलों को बचाने तथा सरकार की नीति के अनुरूप हस्तांतरण की कार्रवाई अपेक्षित है।

ऊर्जा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्त्ति की व्यवस्था तथा इसका प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से कराना अपेक्षित है।

————————